न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

<u>सी.आई.एस. 01/2026</u>

दिनेश कुमार उर्फ बिल्लू बनाम श्रीमती जागृति कपूर ।

<u>दिनॉक 18.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत है। उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

आज अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र का0सं0 26क1 अर्न्तगत आदेश नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय शपथ पत्र का0सं0 26क1/3 वास्ते नई अपील दायर करने की अनुमति सहित अपील वापस लेने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु इस आशय से दिया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी न्यायालय समक्ष विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान किराया प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय, सीतापुर द्वारा वाद सं० 1923/2025 कम्प्यूटरी कृत वाद सं० D202510640001923 श्रीमती जागृति कपूर आदि बनाम दिनेश कुमार उर्फ बिल्लू अन्तर्गत धारा 21 (2) उ०प्र० नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 मे पारित निर्णय दिनांकित 29.11. 2025 की प्रथमतः दिनांक 23.12.2025 को जानकारी उपरांत दिनांक 24.12.2025 को प्राप्त होने उपरांत प्रावधानित समयसीमा भीतर संस्थित उपरोक्त अपील तकनीकी प्रक्रियात्मक त्रुटि (Procedural defect) के रहते भावी विधिक जटिलताओ से बचने हेतु नई अपील (As fresh) संस्थित करने की अनुमति के साथ वापस लेना चाहता है। न्याय हित मे प्रार्थी अपीलार्थी के अपीलीय अधिकारों के संरक्षणार्थ उपरोक्त अपील नई अपील (Fresh appeal) संस्थित करने की अनुमति के साथ वापस किया जाना वांछनीय एंव न्याय संगत है। अन्यथा प्रार्थी अपीलार्थी के अपीलीय अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़ने व अपूर्णनीय क्षति होने की की प्रबल संभावना है।

उत्तरदाता की ओर से आपत्ति 27ग2 वास्ते समाप्त किये जाने उपरोक्त अपील इस आशय से दिया गया है कि रेस्पान्डेन्ट/प्रार्थिनीगण /वादिनीगण के पक्ष में न्यायालय श्रीमान किराया प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सीतापुर द्वारा प्रार्थिनीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 21(2) किरायेदारी विनियमन अधिनियम 2021 योजित किया गया था जिसमें 29/11/25 को आदेश हुआ परंतु अपीलार्थी ने अंदर मियाद खाली नहीं किया जिस कारण गृहस्वामिनी / रेस्पान्डेन्ट ने इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान अपर जिलाधिकारी किराया प्राधिकारी सीतापुर के यहां प्रस्तुत किया जिसमें दखल वारंट 21/04/26 को जारी हुआ और पुलिस बल द्वारा न्यायालय के आदेश पर प्रार्थिनीगण–रेस्पान्डेन्ट को विधिवत कब्जा व दखल प्रश्नगत दुकान का दिनांक 16/05/26 को पड़ा ताला कटवाकर व सामान की सूची बनाकर एक व्यक्ति भारत पुत्र जियालाल ग्राम पुरैना परगना तहसील बिसवां जिला सीतापुर की सुपुर्दगी में विधिवत दिया गया तथा प्रार्थिनी को विधिवत कब्जा व दखल प्राप्त हो चुका है जिस कारण उपरोक्त प्रकीर्ण वाद का कोई औचित्य नहीं रह गया है और कथित कोई भी अपील विधिवत दर्ज नहीं हुई तथा इजराय सम्पन्न हो जाने के कारण अपीलकर्ता की प्रस्तावित कथित अपील निरर्थक व निःस्प्राय हो चुकी है जिस कारण मुकदमा समाप्त कर दाखिल दफ्तर किया जाना आवश्यक है। डिग्रीदारिया को उक्त दुकान को विधिवत कब्जा पाने के बाद प्रश्नगत दुकान पुराने होने के कारण ध्वस्त कराई जा चुकी है, दुकान का वजूद समाप्त हो चुका है।

मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। चूँकि अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी वाद अपील अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु विचाराधीन है। चूँकि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लम्बित है तथा

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.05.19 17:01:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp.

आवेदक प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को वापस लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 26क1 व आपत्ति 27ग 2 को गुण दोष पर सुनवाई किये जाने कोई औचित्य नही है। तद्नुसार उक्त प्रकीर्ण दीवानी वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रकीर्ण दीवानी वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाय।

(आशीष जैन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

दिनांक : 18.05.2026

अजीत.

UPSI010000182026